

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम झारखण्ड विधान सभा

संख्या-03

अष्टम (बाजट) सत्र

बुधवार, दिनांक-02 मार्च, 2022 ई।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.45 बजे अप० तक।

मानवीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चायें:-

- i- इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीयों ने मानवीय सदस्य अपने-अपने हाथों में स्लोगनशुक्रत पोस्टर लेकर कृपेश पाण्डेय एवं संजू प्रधान की हत्या की जांच कराये जाने की माँग करने लगे, परन्तु आसन के अनुरोध पर वे अपने-अपने स्थान पर बैठ गये,
- ii- मानवीय सदस्या, सुश्री अम्बा प्रसाद ने आसन का ध्यानाकृत करते हुए सूचित किया कि दिनांक- 01.03.2022 को वे अपने सहयोगियों के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवधर में पूजा-अर्चना हेतु गयी थीं। वहाँ अव्यवस्था का माहौल था। भगदड़ मची हुई थी जिसमें कई यहिलाये ध्यानलाभस्था में पड़ी हुई थी जिसे देखते हुए वे मंदिर प्रबंधन समिति तथा भी दिनेश यादव, अनुमण्डलाधिकारी, देवधर से बात करना चाही, लेकिन अनुप्रणलाधिकारी मानवीय सदस्या के पास आने की बाबाय उन्हें ही बुलावा भेज दिया। इसके बाद जब वे बूद वहाँ गयीं, तो वे एक शिष्टाचार का भी पालन नहीं किये। इधर मंदिर प्रबंधक ने उनके निजी सहायक को घरसीटकर आहर कर दिया और इस प्रकार एक विभानसभा सदस्य को प्रताहित व अपमानित कर उनकी गरिमा को तार-तार कर दिया। इस अवसर पर भारी शोरगूल होने लगा तदुपरोत आसन ने गहरी नाराजगी एवं दुःख अवक्त करते हुए सरकार से अनुरोध किया कि ऐसे लोगों का मतोबल बढ़ गया है, अतएव उनके विकल्प कठोर से कठोर कार्रवाई की जाय। इसके उपरोक्त मानवीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया कि तीन दिनों के अन्दर कार्रवाई कर सदन को अवगत करा दिया जायेगा।

2. प्रश्नकाल:-

आज के लिए नियमित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-12

- (क) उत्तरित कुल-03, अ० स०-13, श्री विरची चारायण, स०विंस०,
अ० स०-14, श्री मनीष जायसवाल, स०विंस०,
अ० स०-15, श्री प्रदीप यादव, स०विंस०।
- (ख) स्थगित मात्र-01, अ० स०-16, श्रीमती दीपिका पाण्डेय चिंह, स०विंस०।
- (ग) अनागत कुल-08, अ० स०-17 से लेकर अ०स०-24 तक।

(ii) तारीकित प्रश्नों की कुल संख्या-70

(क) उत्तरित कुल-03,	तारा०-26, डॉ० इरफान अंसारी,	स०वि०म०,
	तारा०-27, श्री दिनेश विलियम मराण्डी,	स०वि०स०,
	तारा०-28, श्री आलोक कुमार चौरसिया,	स०वि०स०।
(ख) अपृष्ठ मात्र-01,	का०-07, श्री भानु प्रताप शाही,	स०वि०य०।
(ग) अनागत कुल-66, तारा०-29 से लेकर तारा०-94 तक।		

इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार यादव ने सदन का भ्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि नव दिनों हजारीबाग जिले के टाटीझरिया निवासी एक अनुसूचित जाति के बच्चे को निलैया दैन ने दूबने से जौत हो गयी, अतएव उनके परिवारवालों को सरकार मुआवजा प्रदान करे। माननीय सदस्य, श्रीमती रीषिका पाण्डेय सिंह ने वे माननीय सदस्यों के प्रश्नों को प्रार्थित किये जाने तथा माननीय सदस्य, श्री सुदित्य कुमार ने प्रश्नों के लिए तीन-हीन मिनट का समय निर्धारित किये जाने हेतु आसन से अनुरोध किया।

3. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें:-

माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो द्वारा पिछ्डी के लिए आरक्षण का प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने तथा माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण, श्री मनीष जायसवाल एवं श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा राज्य में विगदाती विधि-व्यवस्था पर चर्चा कराये जाने सम्बन्धी दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य कर दिया गया।

4. शून्यकाल की सूचनायें:-

नियमानुसार आज के लिए द्वाते शून्यकाल की सूचनाये निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा चढ़ी गयीं-

- श्री उमाशंकर अकेला,
- श्री बंधु तिकों,
- श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,
- डॉ० लम्बोदर महतो,
- सुशी अम्बा प्रसाद,
- श्री विनोद कुमार सिंह,
- श्रीमती ममता देवी,
- श्री मनीष कुमार मोहनी,
- श्री बिरंची नारायण,
- डॉ० कुराबाहा शशिभूषण भेहता,
- श्री नमन विकसल कोपगांडी,
- श्री भवुरा प्रसाद महतो,
- श्री अमित कुमार मण्डल,
- श्री रीषिक विक्रम,
- श्री प्रदीप यादव,
- श्री अनन्त कुमार ओझा।

माननीय सदस्य, श्री राजेश कच्छय एवं डॉ० इरफान अंसारी वो सदन में अनुरक्षित रहने के कारण उनका शून्यकाल अपृष्ठ हुआ।

ग्रन्थालय की विवरण संक्षिप्त (१)

५. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएँ:-

- i- माननीय सदस्य, श्री दीपक विहाजा एवं अन्य संविधासो द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी बक्तव्य हुआ,
- ii- माननीय सदस्य, डॉ लम्बोदर महतो एवं अन्य संविधासो द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी बक्तव्य हुआ,
- iii- माननीय सदस्य, श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी बक्तव्य हुआ,
- iv- माननीय सदस्य, अनन्त कुमार औझा एवं अन्य संविधासो द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी बक्तव्य हुआ।

६. सभा बेज पर कागजात का रखा जाना:-

आसन से पुकारे जाने पर माननीय मंत्री (विजल), श्री रामेश्वर उर्दौव द्वारा झारखण्ड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष-2021-22 को एक प्रति सदन पटल पर रखते हुए प्रस्ताव किया गया कि यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो, जो सभा द्वारा ध्वनिभत से स्वीकृत हुआ।

७. वित्तीय कार्य:-

आसन से पुकारे जाने पर योजन सह वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, डॉ रामेश्वर उर्दौव द्वारा तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की भौगो की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या-४ "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)" से सम्बन्धित मांग प्रस्तुत की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाड़ी ने कठीनों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

अन्तराल

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन छोड़ किया।

८. वित्तीय कार्य (क्रमांक-७ से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर चर्चा में भाग लिये जाने हेतु दलगत समय आवंटन को घोषणा आसन से की गयी तत्पश्चात् आसन को अनुमति से माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाड़ी ने चर्चा प्रारम्भ की। इसके उपरांत निर्धारित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया-

श्री नवदुर्ग प्रसाद महतो,

श्री अनन्त कुमार औझा,

श्री बंधु तिक्का,

श्री मनीष जयसाहा,

श्री वैद्यनाथ गुर्जर,

(इस अवसर पर सरकारी उत्तर पर्यान्त सभा का समय विस्तारित किया गया।)

श्री विनोद कुमार सिंह

तदुपरांत तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी की अनुदान तथा नियोजन को भौगो की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या-४ "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)" में सम्मिलित मांग बारो-बारो से गिलोटिन (मुख्यमन्त्र) के माध्यम से सभा द्वारा

ख्यनियत से स्वीकृत हुई तथा माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाड़ी द्वारा प्रस्तुत कंठीती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्यों ने सदन का परिवर्णण किया।)

9. विधायी कार्य-

झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक-2022

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ० रमेश्वर ठारी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पूरकस्थापित किया गया।

पूरकस्थापित माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 एवं खण्ड-03, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम लारी-लारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्प्रचात् “झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक-2022” सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

तत्प्रचात् सदन की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक-03 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी।

रीची,
दिनांक- 02 मार्च, 2022 ई०।

संशद जाकेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।